उप-कोषागार चालू करना

* 153. श्री राम प्रवेश राय--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलांतर्गत बरौली प्रखण्ड में उप-कोषागार प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्ष 1991 में ही उप-कोषागार भवन का निर्माण किया गया है, परन्तु अभीतक उप-कोषागार को चालू नहीं किया गया है, यदि हां, तो क्या सरकार बरौली में उप-कोषागार चालू करने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

जेल का निर्माण

* 154. श्री चितरंजन कुमार--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिले में अभीतक जेल का निर्माण नहीं हो सका है, जिस कारण कैदियों को जहानाबाद जेल में रखा जाता है, जिसकी अधिक दूरी के कारण परेशानी होती है, यदि हां, तो क्या सरकार अरवल में जेल का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

चालू करना

* 155. श्री संतोष कुमार--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत प्रखंड बायसी के बनगामा पंचायत के मरवा ग्राम में विगत तीस वर्ष से खादी ग्रामोद्योग चल रहा था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त खादी ग्रामोद्योग विगत 10 वर्षों से बंद है, जिससे सैकड़ों परिवार भुखमरी के कगार पर है एवं बेरोजगार हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त खादी ग्रामोद्योग को चालू करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

पदाधिकारी पर कार्रवाई

"क". * 156. श्री विक्रम कुंवर--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ग्रामीण योजना के अधीन तत्कालीन उप-विकास आयुक्त, निदेशक लेखा प्रशासन, लेखा पदाधिकारी, जिला-ग्राम विकास अभिकरण, जिला प्रबंधक तथा जिला अभियंता, सिवान के द्वारा सरकारी राशि का वित्तीय वर्ष 2001 से 2005 तक 20 लाख 54 हजार 36 रुपये का गबन किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक-100, दिनांक 6 जून, 2007 द्वारा जांच कर अपना प्रतिवेदन संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना को भेजा है, जिसमें उक्त पदाधिकारियों के विरुद्ध गबन का मामला सही बतलाया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पदाधिकारी के विरुद्ध अबतक कार्रवाई नहीं करने का क्या औचित्य है?

"क" ग्रामीण विकास विभाग को स्थानांतरित

प्रमाण-पत्र निर्गत करना

* 157. श्री सदानन्द सिंह--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-177, दिनांक 13 मई, 2002 के द्वारा मड़रिया (मुस्लिम) जाति को पिछड़े वर्ग की अनुसूची-2 के अन्त में जोड़ा गया है, परन्तु प्रमाण-पत्र नहीं निर्गत किया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखण्ड में रहने वाले मड़रिया (मुस्लिम) जाति के छात्र-छात्राओं को अंचलाधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र नहीं दिये जाने का क्या औचित्य है?

थाना का सृजन

* 158. श्री राहुल कुमार--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला में ओकरी थाना सृजन का प्रस्ताव विभाग में विगत 4 वर्षों से लंबित है, यदि हां, तो क्या सरकार ओकरी में थाना के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृत करने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों?

कार्रवाई करना

* 159. श्री अख्तरुल ईमान--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 5 मई, 2010 को प्रकाशित शीर्षक "पांच साल में 3100 कि०मी० तार की चोरी" के आलोक में क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गत पांच वर्षों में राज्य के विभिन्न जिलों के कुल 3100 कि०मी० बिजली तार की चोरी हो चुकी है, जिसमें जिला गया के 450 कि०मी०, औरंगाबाद के 350 कि०मी०, नवादा के 326 कि०मी०, मुजफ्फरपुर के 312 कि०मी०, वैशाली के 300 कि०मी० इत्यादि शामिल है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चोरी के विरुद्ध जिला गया में 64, औरंगाबाद में 50, नवादा में 82, मुजफ्फरपुर में 75 तथा वैशाली में 50 प्राथमिकियां विभिन्न थानों में दर्ज कराई गई है;

(3) क्या यह बात सही है कि बिजली तार की चोरी हो जाने से राज्य को लगभग 15 करोड़ रुपये की क्षति हुई तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त जिलों में तार चोरी के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकियों के आधार पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

उप-कोषागार का निर्माण

* 160. श्री जितेन्द्र कुमार राय--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत मढ़ौरा को अनुमंडल बने 17 वर्ष हो गये हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि 17 वर्ष बीत जाने के बाद भी मढ़ौरा में उप-कोषागार नहीं है;

(3) क्या यह बात सही है कि मढ़ौरा के निवासी को 35 कि०मी० दूरी तय कर छपरा कोषागार में जाना पड़ता है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मढ़ौरा में उप-कोषागार खोलने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों?

मॉडल थाना का निर्माण

*161. श्रीमती गुड्डी देवी--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत रून्नी सैदपुर एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है;

(2) क्या यह बात सही है कि रून्नी सैदपुर थाना को मॉडल थाना नहीं बनाया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रून्नी सैदपुर थाना को मॉडल थाना बनाने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

जांच कराना

*162. श्री मंजीत कुमार सिंह --क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पुलिस मैनुअल भा०-1, अध्याय-42 के नियम 1254 के अनुसार विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेसरा आदि विशिष्ट जांच का प्रतिवेदन सहायक निदेशक के हस्ताक्षर तथा निदेशक/उप-निदेशक के प्रतिहस्ताक्षर के बाद ही निर्गत किये जाने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि गृह (आरक्षी) विभाग की अधिसूचना 2251, दिनांक 6 मार्च, 2008 के द्वारा डॉ० श्याम बिहारी उपाध्याय को प्रभारी निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया था;

(3) क्या यह बात सही है कि सी०आर०पी०सी० की धारा 293 की अवहेलना कर श्री सुरेश पासवान, प्रौद्योगिकी पदाधिकारी (अराजपत्रित) अनधिकृत रूप से वर्ष 2008 में भेसरा जांच रिपोर्ट 54/08, दिनांक 03 जुलाई, 2008 एवं 1233/07, दिनांक 22 जनवरी, 2008 द्वारा भेसरा जांच रिपोर्ट निर्गत किये हैं;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनधिकृत रूप से हस्ताक्षर करने वाले श्री सुरेश पासवान के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा पुनः भेसरा जांच कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मूल्य दिलाना

*163. श्री दिनकर राम--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि 8436 नंबर ईख का मूल्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 250 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है जबकि इसी ईख का मूल्य बिहार सरकार द्वारा 210 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों को 40 रु० प्रति क्विंटल की हानि हो रही है, यदि हां, तो क्या सरकार बिहार के गन्ना उत्पादकों को भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुरूप मूल्य दिलाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उप-कोषागार का निर्माण

*164. श्री सदानन्द सिंह--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1988 में ही भागलपुर जिले के कहलगांव में उप-कोषागार खोलने की स्वीकृति तत्कालीन सरकार द्वारा दी गयी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि कहलगांव अनुमंडल कार्यालय में उप-कोषागार के लिए चार वर्ष पूर्व से ही भवन निर्मित है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कहलगांव अनुमंडल की जनता की कठिनाइयों को देखते हुए निर्मित भवन में उप-कोषागार खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक ?

कार्रवाई करना

*165. श्री ललित कुमार यादव--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में वर्ष 2010 के अंत तक 3069 हत्याएं, 14001 चोरी की घटना, 3282 अपहरण, 742 बलात्कार एवं 970 सड़क डकैती की घटनाएं हुईं;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2001 में अपहरण की संख्या-1689 थी, जो 2010 के अंत में बढ़कर 3282 हो गई है तथा वर्ष 2001 में चोरी की घटना 9489 थी, जो वर्ष 2010 के अंत में बढ़कर 14001 हो गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बिहार राज्य में उक्त घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल लगाना

*166. श्री जनार्दन मांझी--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत अमरपुर प्रखंड में चीनी मिल नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि अमरपुर प्रखंड के आसपास किसानों द्वारा गन्ना की खेती अधिक की जाती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रखंड में चीनी मिल लगाने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*167. श्री राहुल कुमार--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला का घोसी थाना का भवन 80 वर्ष पुराना है, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है;

(2) क्या यह बात सही है कि घोसी थाना क्षेत्र भयानक रूप में उग्रवाद प्रभावित है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार घोसी को मॉडेल थाना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*168 श्री विक्रम कुंवर--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दानापुर थानान्तर्गत आनन्द बाजार बीचली रोड मकान नं०-33, मौहाल नं०-2, वार्ड नं०-6 के सामने 12 (बारह) फीट चौड़ा आम रास्ता को बन्द करके रातोरात अतिक्रमण करके मकान का निर्माण कर लिया है, जिससे रास्ता बन्द हो गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि छावनी परिषद, दानापुर के पत्रांक-सी०बी०डी०/विविध/224, दिनांक 29 सितम्बर, 2010 छावनी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई हेतु दानापुर पुलिस को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त आम रास्ता को अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*169 डॉ० इजहार अहमद--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल अनुमण्डल बने 19 वर्ष हो गये हैं लेकिन आजतक बिरौल में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास का निर्माण नहीं होने से अल्पसंख्यक छात्रों को काफी कठिनाई हो रही है, यदि हां, तो क्या सरकार बिरौल अनुमण्डल में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रिक्त पदों पर नियुक्ति

*170 श्री कृष्ण कुमार--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पुलिस कम्प्यूटर योजनान्तर्गत गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-9651, दिनांक 6 सितम्बर, 1997 द्वारा 17 (सत्रह) पुलिस कम्प्यूटर का पद सृजित किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना के ज्ञापांक-5414/एल-2, दिनांक 25 सितम्बर, 1997 द्वारा उक्त सृजित पदों को नियुक्त करने का आदेश दिया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त सृजित पद के विरुद्ध मात्र तीन (3) डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों का उक्त पद पर समायोजन किया गया, शेष 14 (चौदह) पद विगत 13 वर्षों से रिक्त है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

क़ारा का निर्माण

*171 डॉ० इजहार अहमद--क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल अनुमंडल कार्यालय के स्थापना का 19 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अभीतक अनुमंडल कारा का निर्माण नहीं हो सका है;

(2) क्या यह बात सही है कि बिरौल में अनुमंडल कारा नहीं होने से कोशी कमला बलान के दूर-दराज के लोगों को काफी कठिनाई हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में बिरौल में अनुमंडल कारा बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*172 श्री जितेन्द्र कुमार राय--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के सभी जिलों में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को पढ़ने हेतु छात्रावास निर्माण करने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2007 में निर्णय लिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010 के अन्त तक 11 अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष बचे छात्रावास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*173 श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह --दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 20 जनवरी, 2011 को प्रकाशित शीर्षक "24 फीसदी ग्रोथ पर लक्ष्य से 150 करोड़ पीछे" को ध्यान में रखते हुए, क्या मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010-11 के लिए राज्य के वित्त वाणिज्य-कर विभाग दिसम्बर, 2010 तक विभिन्न प्रमण्डलों क्रमशः केन्द्रीय प्रमण्डल, 2773 के बदले 2706 करोड़, पटना प्रमण्डल 611 के बदले 607 करोड़, दरभंगा 266 के बदले 235 करोड़, तिरहुत प्रमण्डल 231 के बदले 221करोड़, गया प्रमण्डल 100 के बदले 98 करोड़, पूर्णिया प्रमण्डल 102 के बदले 102 करोड़, भागलपुर 168 के बदले 141 करोड़ की ही वसूली हो पाया;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लक्ष्य के विरुद्ध राशि नहीं वसूलने वाले पदाधिकारियों पर कौन-सी कार्रवाई करते हुए लक्ष्य पूरा करने हेतु कौन-सा कारगर कदम उठाना चाहती है?

अधिसूचना जारी करना

*174 श्री सोनेलाल हेम्ब्रम--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार की सेवाओं में आरक्षण अधिनियम 14/2002 एवं 16/2003 में अनुसूचित जनजाति को नौकरी एवं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण 10% से घटाकर 1% कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अधिनियम की धारा-2 (2) में उल्लेख है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर जिलों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार विभिन्न जिलों के लिए विभिन्न प्रतिशत नियत करेगी, जिसकी अधिसूचना जारी नहीं की गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अधिसूचना कबतक जारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल को चालू करना

*175. श्री ललित कुमार यादव--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चीनी निगम की सकरी इकाई वर्ष 1997-98 से बंद पड़ी है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मिल के मजदूरों का वर्ष 1997 से बकाया भुगतान से संबंधित कागजात जिला पदाधिकारी के पास जमा है परन्तु भुगतान नहीं हो पाया;

(3) क्या यह बात सही है कि 10 करोड़ 82 लाख रुपया जिला पदाधिकारी के पास आवंटन के लिए मार्च, 2010 में आया, लेकिन भुगतान अभीतक नहीं हुआ है;

(4) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा यह निवेश को विकल्प दिया गया है कि चीनी मिल के बदले कोई अन्य संयंत्र भी लगाया जा सकता है, जबकि सकरी चीनी मिल भौगोलिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मजदूरों का भुगतान एवं चीनी मिल के जगह अन्य संयंत्र के बजाय चीनी मिल ही पुनः चालू करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चालू करना

*176. श्री रामायण मांझी--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान स्थित सूता फैक्टरी का निर्माण 1980 में किया गया है, जो आजतक चालू नहीं किया गया है, यदि हां, तो सरकार उक्त सूता मिल को चालू करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

हथियार से लैस करना

*177. श्रीमती गुड्डी देवी--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला एक नक्सल प्रभावित जिला है;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के शस्त्रागार में विगत 3 वर्षों से अत्याधुनिक हथियार की कमी है, जिसके कारण पुलिस प्रशासन को नक्सली से मुकाबला करने में कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीतामढ़ी जिला के थाना को अत्याधुनिक हथियार से लैस करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*178. श्रीमती लेशी सिंह--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिला में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास वर्ष 2001 से ही स्वीकृत है परन्तु जमीन अधिग्रहण तथा स्वीकृत प्रदत्त राशि का जिला से वापसी के कारण अभीतक निर्माण कार्य नहीं हो पाया है;

(2) क्या यह बात सही हैं कि पूर्णियां नगर परिषद क्षेत्र में जमीन की उपलब्धता नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्णियां नगर परिषद क्षेत्र की सीमावर्त्ती अल्पसंख्यक बाहुल्य बनभाग चुनापुर में उपलब्ध जमीन में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास का निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

घटनाओं को रोकना

*179. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिले के मुख्यालय आरा शहर के पश्चिमी छोर पर उदवंत नगर थाना के सरहद पर चन्दवा मुहल्ला बसा हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस मुहल्ले से सटे हुए आरा हाउसिंग कॉलानी, रामनगर, कश्यपनगर आदि मुहल्लों में डकैती एवं एन०एच० 30 के किनारे आपराधिक घटनाएं घटती रहती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चन्दवां में पुलिस चौकी स्थापित कर आपराधिक घटनाओं को रोकने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

पद की स्वीकृति

*180. श्री अख्तरूल ईमान-क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य मानव अधिकार आयोग में विभिन्न मामलों के यथा पुलिस ज्यादती, महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, कारा संबंधी, मृत बंदी इत्यादि वर्ष 2008 में 95, वर्ष 2009 में 2550 तथा वर्ष 2010 में 2823 अर्थात कुल 5468 मामले दर्ज कराए गए हैं, जिनके विरुद्ध केवल 2225 मामले का निष्पादन हो पाया है;

(2) क्या यह बात सही है कि आयोग के पास कर्मचारियों की कमी के कारण मामले का निष्पादन समय पर नहीं हो पाता है, जिसके लिए आयोग ने 67 कर्मचारियों के पद की स्वीकृति के लिए गृह विभाग के पास दो वर्ष पूर्व ही पत्र भेजा गया है, किन्तु स्वीकृति अबतक नहीं मिली है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मानवाधिकार आयोग को 67 कर्मचारियों के पद को स्वीकृत करने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

थाना खोलना

*181. श्री शैलेश कुमार--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के खड़गपुर में जो वर्त्तमान थाना है, उसका क्षेत्र काफी लम्बा है;

(2) क्या यह बात सही है कि गालिमपुर या शाकपुर के लोगों को 18 कि०मी० दूर खड़गपुर आने-जाने में काफी परेशानी होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गालिमपुर या शामपुर में थाना खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

नाका का स्थापना

*182. डॉ० अच्युतानन्द--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महनार थाना क्षेत्र में बढ़ते अपराध के कारण 10 वर्ष पूर्व स्टेशन रोड में झुरकिया के पास एक पुलिस नाका की स्थापना की गई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि 10 वर्ष पूर्व ही महनार थाना क्षेत्र के अन्तर्गत मणिनाथ मंदिर एवं गड़ेरिया मठ के पास भी एक-एक नाका खोलने का प्रस्ताव था;

(3) क्या यह बात सही है कि अपराधियों से सुरक्षा की दृष्टिकोण से झुरकिया स्थित नाका को महनार थाना परिसर में स्थापित कर दिया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो थाना परिसर में ही नाका स्थापित करने का क्या औचित्य है ?

थानों का निर्माण

*183. श्री तार किशोर प्रसाद--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार में अनुसूचित जाति-जनजाति थाना, महिला थाना एवं यातायात थाना नहीं है, यदि हां, तो क्या सरकार कटिहार में उक्त थानों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

पटना:
दिनांक 28 फरवरी, 2011 (ई०)।

गिरीश झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।

बि० स० मु० (एल० ए०) 120-डी०टी०पी०-450